

भरोसे का सौदा... हाईकोर्ट के ओदश पर दंपती समेत छह पर एफआइआर

तुम पैसा लगाओ, मेहनत हम करेंगे...

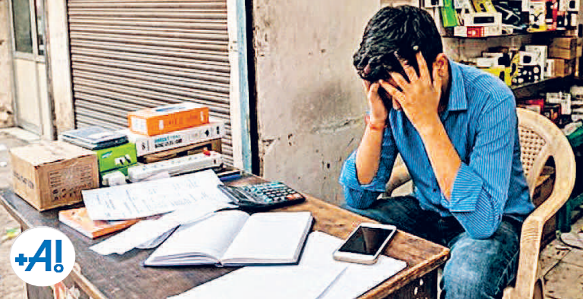
कारोबारी से ₹4.43 करोड़ ठगे

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

ग्वालियर. तुम सिर्फ पैसा लगाओ, मेहनत हम करेंगे और मुनाफा तुम्हें देगे...भरोसा जीतने के लिए जालसाजों ने कारोबारी से यही बात कही। टीन (कनस्टर) के कारोबार में साझेदार बनाने का झांसा देकर दंपती समेत छह लोगों ने कारोबारी से 4 करोड़ 43 लाख 50 हजार 815 रुपए निवेश करा लिए। कारोबारी ने हिसाब मांगा तो उसे धमकियां दी गईं और कारोबार से जुड़े वाहनों व सामान पर कब्जा कर लिया।

पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो कारोबारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर झांसी रोड थाना पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज की है। ओम साईं अपार्टमेंट, हेलीपैड कॉलोनी निवासी विशाल तनेजा ने पुलिस को बताया कि अनिल कुमार इसराणी की उसके पिता से दोस्ती थी। आरोप है कि इसी परिचय का फायदा उठाकर अनिल और उसकी पत्नी मोना ने कारोबारी को अपने जाल में फंसाया। करीब छह साल पहले अनिल पत्नी मोना के साथ विशाल के घर पहुंचा। उसने बताया कि टीन के कारोबार में 18 लाख का नुकसान हो गया है और कर्जदार परेशान कर रहे हैं।



गारंटर बनने और साझेदारी का प्रस्ताव

अनिल ने विशाल से गारंटर बनने की बात कही और इसी दौरान कारोबार में साझेदार बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद विशाल को गिरवाई स्थित कारखाने पर बुलाकर सत्री लोहानी से मिलवाया गया। आरोपियों ने बताया कि सत्री कारोबार का जानकार है। उसे भरोसा दिलाया गया कि वह पैसा लगाए, जबकि वे कारोबार संभालेंगे और मुनाफे में हिस्सा देंगे।

पिता की बीमारी का उठाया फायदा

विशाल के पिता की तबीयत खराब हो गई। फायदा उठाकर अनिल, मोना और सत्री ने कंपनी के दस्तावेज, डीएससी, लॉगिन आइडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लेन-देन किए। कारोबार में कुल 13 ट्रक, तीन लॉडिंग वाहन और एक ईको कार शामिल की थीं। हिसाब मांगने पर आरोपियों ने उसके गोदाम पर ताला डाल दिया और वहां रखा माल भी कब्जे में ले लिया।

रिटायर्ड कैशियर समेत पांच कर्मचारियों पर केस दर्ज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1.63 करोड़ रुपए का गबन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

जबलपुर. सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1.63 करोड़ के गबन के मामले में गढ़ा पुलिस ने कैश अनुभाग के रिटायर्ड कैशियर समेत 5 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों में रिटायर्ड कैशियर मनोहर केवट, कैशियर साधना चन्द्रोल, सहायक ग्रेड तीन भानू सिंह शाक्यवार, कैशियर सह प्रभारी अरविंद धुर्वे और सहायक ग्रेड तीन विशाल सराटे शामिल हैं। कॉलेज के डीन डॉ. नवनीत सक्सेना के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई की गई। आरोप है कि अप्रैल 2020 से नवंबर 2025 के बीच पांचों अधिकारियों-कर्मचारियों ने छात्रों की फीस, आइपीडी और ओपीडी की राशि वसूल की।



कमेटी की जांच में मिला राशि में अंतर

राशि को मनी रसीद बुक में दर्ज किया लेकिन बैंक में जमा करते समय कर्म राशि जमा की गई। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने जांच कमेटी गठित की। कमेटी की जांच में मनी रसीद बुक में दर्ज राशि और बैंक में जमा राशि के बीच 1 करोड़ 63 लाख 76 हजार 465 रुपए का अंतर पाया गया।

कान्हा बफर जोन में बाघ ने अचानक किया हमला

बच गई जान... युवक ने दिखाया साहस, लाठी लेकर बाघ से भिड़ा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

बालाघाट. कान्हा टाइगर रिजर्व के खापा परिक्षेत्र स्थित करेली गांव में सोमवार सुबह युवक ने साहस का परिचय देते हुए बाघ के हमले को नाकाम कर दिया। खेत जा रहे 30 वर्षीय संतोष मेश्राम ने घबराने के बजाय हाथ में मौजूद लाठी से बाघ का मुकाबला किया और अपनी जान बचा ली। घटना सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच की है। संतोष जंगल के रास्ते अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी झाड़ियों से निकले बाघ ने उस पर झपट्टा मार दिया। हमले में संतोष के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। संतोष ने लाठी से बाघ के सिर पर प्रहार किया। अचानक पलटवार से बाघ जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ।



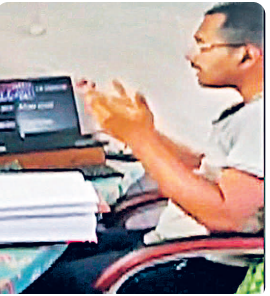
घायल अवस्था में भी खुद पहुंचा घर

बाघ के जाने के बाद गंभीर घायल संतोष किसी तरह अपने घर पहुंचा। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया और घायल को बैरर अस्पताल पहुंचाया। एसडीओ सुनील कुमार पंडे ने बताया, पीड़ित को ताल्कालिक सहायता के रूप में 1500 की राशि प्रदान की है। उसका संपूर्ण इलाज शासकीय व्यय पर कराया जाएगा।

आरोपी ने वकील के कमरे जैसा सजाया रूम, एआइ से स्क्रिप्ट, गिरफ्तार

लाइक्स और व्यू के लिए हाईकोर्ट की सुनवाई का फर्जी वीडियो, अंग्रेजी में फरारिदार दलीलें

जबलपुर @ पत्रिका. सिंगरोली के बंढन निवासी एक युवक को उच्च न्यायालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली सुनवाई का फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जिस पर आरोप लगे लाइक और व्यू पाने के लिए वह वीडियो बनाता था। वीडियो में वह अंग्रेजी और हिंदी में दलील देता नजर आता था, जैसे वह वास्तव में हाईकोर्ट की सुनवाई में शामिल होकर पक्ष रख रहा हो। वीडियो में कई आपत्तिजनक बातें भी कही गई थीं। मामला उच्च न्यायालय के सजान में आने के बाद 6 जुलाई को जबलपुर आइजी को कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सविन लाइंस पुलिस ने जांच कर जिस पर आरोप लगे की पहचान बंढन क्षेत्र के पिंपराझापी निवासी अमित तिवारी के रूप में की। उसके



खिलाफ शून्य पर एफआइआर दर्ज की गई, जिसे बाद में सिंगरोली थाना को भेजा गया। बंढन थाना में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने अमित के घर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उस कक्ष में पहुंची, जहां वह फर्जी वीडियो तैयार करता था। कक्ष में लैपटॉप और डेस्कटॉप मिले। पुलिस के अनुसार, इन्हीं के जरिए वह वीडियो बनाता था।

आनंद गोल्ड

Machine Made Jewellery

1.99% Making Charges

Wholesale Jewellery, सबसे कम कीमत पर

anand Gold

MG Road, Indore

15 लाख से शुरू हुआ निवेश, बढ़ती गई रकम

विशाल ने पहली क्रिश्त में 15 लाख लगाए। कौविड के दौरान परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई तो आरोपियों ने ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू कर दिया। कारोबारी के पैसों से चार ट्रक और 3 लॉडिंग वाहन समेत कई वाहन खरीदे। बाद में बड़े टेंडर डिलीवरी का झांसा देकर ज्वेलेंट वर्क ऑफ वेंडर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खुलवाई। इसमें विशाल को 99% और सत्री को 1% डायरेक्टर बनाया।



बालाघाट: रिपोर्ट में खुलासा- जान गंवाने वाले बच्चों का नहीं हुआ टीकाकरण

रहस्यमयी बीमारी से उठा पर्दा, मीजल्स और मलेरिया से हुई थी बच्चों की मौत

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

बालाघाट. बिरसा के बैगा बहुल गांवों में दो महीनों से मासूमों की जान ले रही 'रहस्यमयी' बीमारी का सच आखिरकार सामने आ गया है। आइसीएमआर और एनआइवी पुणे की लेब जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बच्चों की मौत मीजल्स और मलेरिया के जानलेवा कॉम्बिनेशन से हुई थी। चौकाने वाला तथ्य यह है कि जिनकी जान गई, वे टीकाकरण से वंचित थे। स्वास्थ्य आयुक्त धनराज एस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दल ने 13 से 15 अगस्त तक प्रभावित ग्राम बोंदारी, कोरका और कुंडेकसा का दौरा कर समीक्षा की थी, जिसके बाद आइसीएमआर ने इस रिपोर्ट पर मुहर लगाई।



प्रभावित क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर जांच, उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। संबधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण गतिविधियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कुमार सत्यम, कलेक्टर बालाघाट

रेप करने वाले सौतेले पिता को 20 साल कैद

इंदौर. नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को जिला कोर्ट ने पाँचवीं एक्ट की धाराओं में 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 21 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने बताया कि घटना 25 मई 2024 की है। बालिका ने बताया था कि उसकी माँ नौकरी पर गई थी और वह घर पर थी। इसी दौरान सौतेला पिता घर आया और दुष्कर्म किया।

ई-नीलामी सूचना

क्रय वस्तु की अधिकरण

आयल सरकारी, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (वैकिंग प्रमाण)

797-द्वितीय एवं तृतीय तल, संवार विकास भवन (बीएसएनएल बिल्डिंग), रेजीडेंसी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस के पास, साउथ विलेज लाइन, जबलपुर (म.प्र.) 482001

प्रकरण संख्या: RC/162/2025/ओ.ए. संख्या. 231/2023

ई-नीलामी क्रमांक 177/2026

BANK OF INDIA वि. VASANT PANDHARINATH PATIL एवं अन्य में पतित वस्तु प्रमाण पत्र क्रमांक RC No. RC 162/2025/ O.A. No.231/2023 में जारी राशि की वस्तु हेतु प्रमाण पत्र Rs.29,21,709.68 (Rupees Twenty Nine Lakh Twenty One Thousand Seven Hundred Nine and Sixty Eight Paise only) तथा उस पर 12.00 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दिनांक 25.01.2023 से ब्याज एवं वस्तु हेतु निम्नलिखित संपत्ति ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत वेबसाइट <https://baanknet.com> के माध्यम से की जायेगी।

ई नीलामी की तिथि एवं समय: 07/10/2026 समय दोपहर 12:00 से 1:00 बजे

समयति की अनुमूची

क्रं. सं. विषय हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण

1.

Immovable Property i.e., Landhaving Gat No. 230/1 (area 2.75 Hectare) & 231 (area 1.18 Hectare), having Village - Anturli, Post - Anturli, Tehsil Muktainagar, District Jalgaon (Maharashtra) belonging to CD No. 1 i.e. Vasant Pandharinath Patil s/o Pandhrinath Patil.

आरक्षित/न्यूनतम मूल्य
(Rupees Twenty Five Lakh Twenty Thousand only)

ई.एम.डी. राशि
(Rupees Two Lakh Fifty Two Thousand only)

विषय की शर्तें एवं नियम

1. विषय की सभी शर्तें क्रमांक की वस्तु एवं दिवालिवापन अधिनियम 1993 के प्रावधानों तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम 1962 के साथ पठित प्रावधानों द्वारा शासित होगी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रोविजन की अधिनियम, 2000 के प्रावधानों से भी निर्देशित होगी।

2. इच्छुक बोलीदाता निम्न सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

नीलामी एजेंसी

हल्पलाइन ई-मेल

हैल्पलाइन ई-मेल

बैंक अधिकारी

संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय

Bank Asset Auction Network (BAANNET)

+91 - 8291220220

support.baanknet@psb alliance.com

Shri Shashikant Bhalavi, Chief Manager, Mob. No. 9455435442

16-09-2026 दोपहर 12:00 बजे से प्रायः 4:00 बजे तक

3. इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र, विस्तृत विवरण एवं विषय की शर्तों हेतु वेबसाइट का अवलोकन करें।

4. बोलीदाता (bids) केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएंगी। प्रत्येक बोली के साथ पैस की प्रति, पते का प्रमाण, पचान-पत्र, ई-मेल आइडी तथा मोबाइल नंबर की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी के मामले में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड संस्तर (Board Resolution) की प्रमाणिक प्रतियाँ अथवा कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व/ अधिकार-पत्र (Power of Attorney/ Authorization) को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। बोलीदाता संपत्ति के विवरण क्षेत्रफल/ माप, भारों (Encumbrances), दायित्वों तथा अन्य संबंधित तथ्यों की शुद्धता एवं सत्यता के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर संबंधित सरकारी कार्यालयों अथवा अन्य समक्ष स्रोतों से जांच-पड़ताल कर पूर्णतः संतुष्ट हो लें। इस संबंध में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी त्रुटि विसंगति किसी भी अथवा विवाद के लिए वस्तु अधिकरण (DRT) उत्तरदायी नहीं होगा।

5. आरक्षित मूल्य का 10% अंशतः रु. 2,52,000.00 (Rupees Two Lakh Fifty Two Thousand only) ईएमडी के रूप में BAANKNET वॉलेट में जमा करना होगा तथा उसका विवरण बोली प्रपत्र में अंकित करना होगा।

6. ऑनलाइन बोली दिनांक 05.10.2026 को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी।

7. ऑनलाइन प्रस्तुत बोली प्रपत्र एवं सलनकों की प्रति वस्तु अधिकारी, डीआरटी, जबलपुर द्वितीय एवं तृतीय तल, संवार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), रेजीडेंसी रोड, मुख्य डाकघर के निम्न दक्षिण विलेज लाइन्स, जबलपुर को यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी।

8. ऑनलाइन बोली प्रक्रिया प्रपत्र उच्चतम बोली से प्राप्त होगी तथा प्रत्येक अगली बोली में न्यूनतम वृद्धि रु. 30,000.00 (Rupees Thirty Thousand Only) होगी। नीलामी समाप्ति से पूर्व कोई बोली प्राप्त होने पर प्रणाली द्वारा नीलामी समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

9. अक्षय बोलीदाता को ईएमडी उसी खाते में वापस की जाएगी जिससे भुगतान किया गया था। इस संबंध में कोई प्रतावार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईएमडी जमा करने के पश्चात बोलीदाता उसे वापस नहीं ले सकेगा अन्यथा राशि जब कर ली जाएगी।

10. स्थान संपत्ति के मामले में सफल उच्चतम बोलीदाता को घोषणा के अगले दिन, अपनी बोली स्वीकृत होने पर, बोली राशि का 25 (ईएमडी घटकर) HDFC Bank, Civil Lines Branch, Jabalpur, में वस्तु अधिकारी, ई-नीलामी खाता, डीआरटी जबलपुर चालू खाता संख्या 50100111327201, आईएफएससी कोड HDFC0002745 में CRTGS/NEFT द्वारा जमा करना होगा। चूक होने पर संपत्ति पुनः विषय हेतु प्रस्तुत की जाएगी तथा ईएमडी जब कर ली जाएगी।

11. सफल बोलीदाता को शेष 75% राशि तथा विषय राशि का 1% पाउंडेज शुल्क एवं प्रत्येक संपत्ति पर अतिरिक्त रु. 10/- नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर, क्रम संख्या 10 में उल्लिखित चालू खाता संख्या 50100111327201 में आरटीजीएस (RTGS)/एनईफटी (NEFT)/मनी ट्रांसफर के माध्यम से जमा करना होगा। यदि पंद्रहवा दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश का दिन हो, तो भुगतान उसके पश्चात आने वाले प्रथम कार्य दिवस पर किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में संपत्ति के विषय हेतु नवीन विषय उद्घोषणा (Fresh Proclamation of Sale) जारी कर पुनः नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि सरकारी के पक्ष में जब्त (Forfeited) कर ली जाएगी तथा चूक करने वाला क्रेता (Defaulting Purchaser) उक्त संपत्ति अथवा उसके पुनर्विषय से प्राप्त किसी भी राशि पर अपना समस्त दावा एवं अधिकार खो देगा।

12. संपत्ति का विषय "जैसी है जहां है तथा बिना किसी शिकायत के आधार पर" (As is Where is and No Complaint Basis) किया जाएगा।

13. संपत्ति का विषय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।

14. वस्तु अधिकारी को बिना कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विषय स्थागित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इच्छुक बोलीदाता बैंक के पास अत्यंत स्वातिष्ठ अभिलेखों का अवलोकन करे तथा संपत्ति की पहचान विवरण एवं भार आदि की स्वयं जांच करें। इसकी शुद्धता के लिए डीआरटी उत्तरदायी नहीं होगा।

16. बोलीदाता अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इंटरनेट, नेटवर्क, सिस्टम ट्रैफिक या विद्युत व्यवधान के लिए डीआरटी/बैंक/सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होगा।

17. उच्चतम बोली "अनुमोदन के अधीन" अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। विषय की पुष्टि होने तक बोलीदाता को संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा।

18. विषय पर लागू स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं अन्य वैधानिक शुल्क सफल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

19. विषय प्रमाणपत्र केवल उन्हीं व्यक्तियों/व्यक्तियों के नाम जारी किया जाएगा जिनके नाम बोली प्रपत्र में उल्लिखित हैं।

20. विषय प्रमाणपत्र में बोली प्रपत्र में उल्लिखित अंशों के अतिरिक्त किसी अन्य अंश को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. बोलीदाता अपने यूजर आईडी, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी को भी प्रकट न करें।

22. बोलीदाताओं को समय विलंब, अधिक ट्रैफिक, सिस्टम/विद्युत विफलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दी जाती है।

23. ई-नीलामी सेवा प्रदाता, बैंक के अधिकारी उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं एजेंट ई-नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के विवरणों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे।

स्थापन: जबलपुर

दिनांक: 29.07.2026

सील

(नीलेश कुमार अवधिया)
वस्तु अधिकारी-II

भोपाल की चार हजार टैक्सियां बंद, ऑटो वालों ने वसूला दोगुना किराया, आज बोर्ड ऑफिस पर प्रदर्शन

भोपाल@पत्रिका. एपीगेटर टैक्सी कंपनियों के खिलाफ भोपाल टैक्सी चालक संघ से जुड़े करीब चार हजार टैक्सी ऑनर्स ने मंगलवार से हड़ताल शुरू कर दी। सुबह से प्रमुख रास्तों पर बुकिंग पूरी तरह से प्रभावित रही। टैक्सी संचालकों ने किसी भी सवारी को नहीं बैठया। यूनियन में शामिल टैक्सी वाले जहां हड़ताल में शामिल रहे, वहीं अन्य टैक्सी संचालकों ने सेवा संचालित करने का प्रयास किया तो उन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित प्रमुख मार्ग पर रोककर गाड़ी बंद करने की चेतावनी दी गई।

टैक्सी चालक संघ के अध्यक्ष राकेश नागले ने कहा कि मंगलवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। सरकार जब तक दमाल देकर टैक्सी वालों को उनके अधिकार उपलब्ध नहीं करवाएगी, तब तक हड़ताल चलेगी।



CAVEAT NOTICE

That Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, Bhopal has issued Vacancy Circular for the Post of Director's (Deputation/Contract) on 06th August 2026 as per the provisions laid down in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Class I and II Service Recruitment and condition of Service) Regulations 2012 and its amendments thereof. It is informed to whomsoever it may concern that if anyone wishes to challenge the said process in the Hon'ble High Court of M.P. by way of Writ Petitions or other legal proceedings, a copy of application/petition/pleading be served to either Office of M.P. Electricity Regulatory Commission, 5th Floor, Metro Plaza, Bittan Market, Bhopal or to their Counsel Shri Anoop Nair, Advocate, 1570-A, Napier Town, Jabalpur (M.P.).

COMMISSION SECRETARY

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

M.P. Madhyam/127619/2026

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(म.प्र. शासन के पूर्ण स्वामित्व में)

कार्यालय कार्यपालन वंत्री (अउदा/निर्माण) संभाग, बड़वाह

आवश्यक सूचना

दिनांक 18.08.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पूर्व में म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल) द्वारा 132 बैंगल-खरगोन लाइन के द्वितीय सर्किट को 132 के.व्ही. सबस्टेशन अंदरू में लिलो करने के लिये 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण का लिया गया है। यह लाइन खरगोन जिले की भीकनगांव तहसील के अंतर्गत ग्राम खेरा, खुडगांव, भकरगांव, बमनगांव, शहानाजपुरा, रेहगांव, बंजारी, पिपलिया बुजुर्ग, सकरगांव, जामना देवला, पिपलिया खुर्द, इत्यादि ग्रामों से होकर गुजरी है उक्त लाइन को दि. 18.08.2026 को दोपहर 12 बजे के पश्चात सभी भी ऊर्जाकृत किया जा सकता है। अतः उपरोक्त क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध है कि उक्त लाइन के टवरों अथवा तारों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या संपर्क ना करें तथा अपने मवेशियों को भी टावर व लाइन से दूर रखें एवं लाइन के तारों से सुरुक्षित दूरी बनाये रखें व तारों के समीप किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे बाँस, लोहे की छड़, अन्य लंबी वस्तु ना ले जावें व ना ही कोई निर्माण कार्य तारों के समीप असुरक्षित दूरी तक करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की लापरवाही से होने वाली किसी भी दुर्घटना एवं जानमाल की क्षति के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल) जिम्मेदार नहीं रहेगी।

म.प्र. माध्यम/127615/2026

कार्यपालन वंत्री (अउदा-नि) संभाग

विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है।

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(म.प्र. शासन के पूर्ण स्वामित्व में)

कार्यालय कार्यपालन वंत्री (अउदा/निर्माण) संभाग, बड़वाह

आवश्यक सूचना

दिनांक 18.08.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पूर्व में म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल) द्वारा 132 बैंगल-खरगोन लाइन के द्वितीय सर्किट को 132 के.व्ही. सबस्टेशन अंदरू में लिलो करने के लिये 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण का लिया गया है। यह लाइन खरगोन जिले की भीकनगांव तहसील के अंतर्गत ग्राम खेरा, खुडगांव, भकरगांव, बमनगांव, शहानाजपुरा, रेहगांव, बंजारी, पिपलिया बुजुर्ग, सकरगांव, जामना देवला, पिपलिया खुर्द, इत्यादि ग्रामों से होकर गुजरी है उक्त लाइन को दि. 18.08.2026 को दोपहर 12 बजे के पश्चात सभी भी ऊर्जाकृत किया जा सकता है। अतः उपरोक्त क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध है कि उक्त लाइन के टवरों अथवा तारों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या संपर्क ना करें तथा अपने मवेशियों को भी टावर व लाइन से दूर रखें एवं लाइन के तारों से सुरुक्षित दूरी बनाये रखें व तारों के समीप किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे बाँस, लोहे की छड़, अन्य लंबी वस्तु ना ले जावें व ना ही कोई निर्माण कार्य तारों के समीप असुरक्षित दूरी तक करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की लापरवाही से होने वाली किसी भी दुर्घटना एवं जानमाल की क्षति के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल) जिम्मेदार नहीं रहेगी।

म.प्र. माध्यम/127615/2026

कार्यपालन वंत्री (अउदा-नि) संभाग

विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है।

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास, क्रमांक-T2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

संस्था स्तर की काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2026-27 (C-18)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा जारी Revised Academic Calender 2026-27, दिनांक 13.08.2026 के परिपालन में प्रवेश का अवसर

(मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्वचिंतित/निजी क्षेत्र संस्थानों में संचालित, एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम)प्रवेश हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम

बी.ई./बी.टेक.

बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी (BHMCT)

लेटरल एंट्री - बी.ई./बी.टेक.

एम.टेक.- एम.ई. (पूर्णकालिक)

बी. डिजाइन

एम.बी.ए. (पूर्णकालिक)

बीबीए, बीएमएस, बीबीएम (BBA.... etc)

एम.सी.ए.

बीसीए (BCA)

एम, प्लानिंग

एकीकृत एम.बी.ए. (IIMBA)

वर्किंग प्रोफेशनल- (बी.ई./बी.टेक./एम.टेक.)

एकीकृत एम.सी.ए. (IIMCA)

समय सारणी

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

प्रवेश का अवसर प्राप्त करना

दिनांक 20.08.2026 से दिनांक 14.09.2026 (दिनांक 14.09.2026 दोपहर 12:30 बजे तक)

दिनांक 22.08.2026, 27.08.2026, 31.08.2026, 02.09.2026, 05.09.2026, 08.09.2026, 10.09.2026, 12.09.2026 एवं दिनांक 14.09.2026 प्रातः 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक

डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम

(डिप्लोमा पाठ्यक्रम, लेटरल एंट्री - डिप्लोमा (आई.टी.आई./12वीं पास), डिप्लोमा- डॉ. अम्बेडकर/ एकलव्य योजनानगर्त एवं वर्किंग प्रोफेशनल-डिप्लोमा)

समय सारणी

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

प्रवेश का अवसर प्राप्त करना

दिनांक 20.08.2026 से दिनांक 14.09.2026 (दिनांक 14.09.2026 दोपहर 12:30 बजे तक)

दिनांक 22.08.2026, 24.08.2026, 27.08.2026, 29.08.2026, 31.08.2026, 02.09.2026, 05.09.2026, 08.09.2026, 10.09.2026, 12.09.2026 एवं दिनांक 14.09.2026 प्रातः 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक

नोट:- संस्थागत प्राथमिकता सीटों (IPS) पर प्रवेश हेतु पंजीयन दिनांक 10.09.2026 से दिनांक 13.09.2026 तथा आवंटन दिनांक 14.09.2026 को किया जावेगा।

काउंसिल ऑफ़ आर्किटेक्चर (वास्तुकला परिषद्), नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर

प्रवेश हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम

[डिप्लोमा आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B. Arch.) एवं मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (M. Architecture)]

समय सारणी

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

प्रवेश का अवसर प्राप्त करना

दिनांक 20.08.2026 से दिनांक 31.08.2026 (दिनांक 31.08.2026 दोपहर 12:30 बजे तक)

दिनांक 22.08.2026, 25.08.2026, 27.08.2026, 29.08.2026 एवं दिनांक 31.08.2026 प्रातः 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक

नोट:- संस्थागत प्राथमिकता सीटों (IPS) पर प्रवेश हेतु पंजीयन दिनांक 27.08.2026 से दिनांक 30.08.2026 तथा आवंटन दिनांक 31.08.2026 को किया जावेगा।

महत्वपूर्ण:-

प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन करा चुके अभ्यर्थी, अधिकृत वेबसाइट पर संस्था/ब्रांच की उपलब्ध रिक्रियों का अवलोकन कर उपरोक्त दर्शायी गई तिथियों पर प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये इच्छुक संस्था में प्रातः 10:30 बजे स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करवाना आवश्यक है। तथापश्चात मेरिट के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

प्रवेश नियम, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची इत्यादि, वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।

समय-सारणी में एवं अन्य किसी भी प्रकार का संशोधन वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रवेश निरस्त

प्रवेश का अवसर प्राप्त करने की दिनांक को, प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा जारी Revised Academic Calender 2026-27, दिनांक 13.08.2026 अनुसार Last Date for Cancellation of Seats for Technical Courses with FULL Fee Refund दिनांक 31.07.2026 है।

संपर्क: 0755-6720205, 2660441 ई-मेल: dte.helpcenter@mp.gov.in

अतिरिक्त संचालक

तकनीकी शिक्षा संचाल